HPFD-F05/360/2024-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदे ा।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्रधान मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः उप महा निर्देशक, वन (केन्द्रिय),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रिय कार्यालय (उतर–मध्य क्षेत्र), सुभाष रोड़, देहरादून–248001

दिनांक शिमला–1

विषयः **Diversion of 2.4595 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction road Pakhari-Galu-Baragaon (Kms. 0/00 to 5/125) alongwith bridge over Luni Khand (link to village Khujrahal Kms. 0/00 to 0/7405), within the jurisdiction of Mandi Forest Division, Distt. Mandi, H.P.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर 8बी/एच0पी0/06/118/2017/एफ0सी0/1615 दिनांक 28.12. 2017 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :–

1º वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगने पर अर्थात 4.92 है0 DPF Narehli Survey Sheet No. 53A/13/SE, Banala DPF, Drang Block Drang Forest Range पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07–10 वर्षों तक रखरखाव हेतू (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) आव यक धनराि ा जमा करवा दी गई है।

2º PCA Scheme for 5 times the area broken i.e. (0.258x5 = 1.29 ha) in violation alongwith KMLfile, digital map and suitability Certificate is attached with the compliance report of UA.

3º प्रयोक्ता अभिकरण ने FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरुप प्रस्ताव के अनुसार Penal NPV की निर्धारित राि ा जमा करवा ली है।

4º प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0 सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गए आदे ाानुसार भाुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राि ा पूर्व में ही जमा कर ली गई है।

5º भाुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराि ा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आ ाय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता की प्रति संलग्न की गई है।

6º प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007– एफ0सी0ए0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में, online Portal के माध्यम से जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से जमा की गई है।

7º सड़क निर्माण के प चात जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में परियोजना क्षेत्र में खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता संलगन है।

8º Village Level Committee meeting proceeding has already been provided with the FRA certificate in Part-I as well with proposal folder.

उपरोक्त सभी भार्तों के अतिरिक्त आपके पत्र के भाग 2 की सभी भार्तों की अनुपालना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा onlie Protal में अपलोड कर ली है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. भाुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराि ा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आ ाय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता की प्रति संलग्न की गई है।
3. वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगने पर अर्थात 4.92 है0 DPF Narehli Survey Sheet No. 53A/13/SE, Banala DPF, Drang Block Drang Forest Range पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 07–10 वर्षों तक रखरखाव हेतू (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) आव यक धनराि ा जमा करवा दी गई है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण ने FCA, 1980 के उल्लंघन फलस्वरुप प्रस्ताव के अनुसार Penal NPV की निर्धारित राि ा जमा करवा ली है।
5. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक ि ाविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्वता संलगन है।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।
7. सड़क निर्माण के प चात जहां–जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में परियोजना क्षेत्र में खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता संलगन है।
8. परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान आस–पास के क्षेत्र व वनस्पतियों एवंज –जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता संलगन है।
9. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपोग नहीं किया जाएगा।
10. केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
11. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 214 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillers लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
13. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे को निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख रेख में किया जाएग एवं निर्दिश्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फैंका जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता संलगन है।
14. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश/अनुछेद आदि तथा विकास हेतु होते हैं तो उनके अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी। इस आ य की वचन बद्धता संलगन है।
15. पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के एवं विकास के लिए समय–समय पर निर्धारितशर्तें मान्य होगी।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय

Signed by
Sanjay Sood
Date: 29-01-2025 16:51:28

संलग्नः उपरोक्त

नोडल ऑफिसर एवं अति0 प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।